संख्या– 1383/9–9–14–84ज/14

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त महापौर/नगर आयुक्त,
नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2014

विषय– निर्माता कम्पनियों द्वारा बिजली के सामान कय करने हेतु देय छूट के बाद आये मूल्य से ऊपर का सामान कय न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री अशोक कुमार अग्निहोत्री,उन्नाव द्वारा मा0लोक आयुक्त संगठन के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रेषित प्रतिवेदन संख्या–2–2014, दिनांक 01.09.2014 के कम में उपसचिव, लोक आयुक्त,उत्तर प्रदेश के संलग्न पत्र दिनांक 22.10.2014 के प्रतिवेदन में उल्लिखित संस्तुति संख्या–5, जिसमें कतिपय त्रुटिपूर्ण संस्तुति की गयी थी, को संशोधित करते हुये निम्नवत् संस्तुति की गयी है:–

"सभी नगर पालिका परिषदों को यह निर्देश जारी किये जायें कि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय यदि बिजली के सामान के कय करने में किया जाय तो निर्माता कम्पनियों द्वारा जारी अधिकतम मूल्य दर सूची पर देय छूट के बाद आये मूल्य से ऊपर के मूल्य पर कय न की जाय और जारी होने वाले शासनादेश में यह उल्लेख कर दिया जाय कि यदि किसी नगर पालिका परिषद में बिजली के सामान निर्माता कम्पनियों के द्वारा देय छूट के बिना अधिक मूल्य पर कय की गयी तो उसकी धनराशि की वसूली सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद से की जा सकेगी।"

अतः प्रकरण में मा0 लोकायुक्त के प्रतिवेदन में उल्लिखित उक्त संस्तुति के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

Spgo-2

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी।
2. निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0,लखनऊ।
3. उप सचिव, लोकायुक्त, उ0प्र0, लखनऊ उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22अक्टूबर, 2014 के संदर्भ में।
4. नगर विकास अनुभाग–5/6/8
5. कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

लोक आयुक्त
उत्तर प्रदेश

पो. बाक्स नं. 172 (जी.पी.ओ.)
46/वी–1, विभूति खण्ड
गोमती नगर
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 2305760
: 2306088
: 2306717
: 2305086
फैक्स : (0522)2306647

शुद्धि पत्र

संख्याः 3734–2013/59/4255 दिनाँकः 22 अक्टूबर, 2014

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन संख्या–02–2014, दिनाँक 01 सितम्बर, 2014 (परिवाद संख्या–3734–2013) के पृष्ठ संख्या–13, संस्तुति संख्या–5 की अंतिम पंक्ति में टंकण त्रुटि के कारण "गंगाघाट उन्नाव" शब्द टंकित हो गए थे। उक्त त्रुटि का निराकरण करते हुए, गंगाघाट उन्नाव शब्द विलोपित कर दिए गए हैं। अतः प्रतिवेदन संख्या–2–2014 दिनाँक 01 सितम्बर, 2014 में की गयी संस्तुति संख्या–5 निम्नवत् पढ़ी जाए:–

"(5) सभी नगर पालिका परिषदों को यह निर्देश जारी किए जाए कि राज्य वित्त आयोग के निर्देशानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय यदि बिजली के सामान के क्रय करने में किया जाए तो निर्माता कम्पनियों द्वारा जारी अधिकतम मूल्य दर सूची पर देय छूट के बाद आये मूल्य से ऊपर के मूल्य पर क्रय न की जाए और जारी होने वाले शासनादेश में यह उल्लेख कर दिया जाए कि यदि किसी नगर पालिका परिषद में बिजली के सामान निर्माता कम्पनियों के द्वारा देय छूट के बिना अधिक मूल्य पर क्रय की गयी तो उसकी धनराशि की वसूलियाबी संबंधित अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद से की जा सकेगी।"

(न्यायमूर्ति एन0के0 मेहरोत्रा)
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।